रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062024-254806
CG-DL-E-19062024-254806

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2236] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2024/ज्येष्ठ 28, 1946
No. 2236] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2024/JYAISHTHA 28, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2024

का.आ. 2354(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2262 (अ) तारीख 19 अगस्त, 2015 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकेगी है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2262 (अ) द्वारा, तारीख 19 अगस्त, 2015 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2262 (अ) द्वारा, तारीख 19 अगस्त, 2015 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.** – केंद्रीय सरकार, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनी एक मानीटरी समिति का गठन करती है, अर्थात्: -

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में आने वाले पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए मानीटरी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i)	प्रधान सचिव, (पर्यावरण और वन)	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(iii)	सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(iv)	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विषय विशेषज्ञ	सदस्य;
(v)	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नाम निर्दिष्ट (पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे, जिसमें विरासत संरक्षण भी है) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	आवास और शहरी योजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(vii)	राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(viii)	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(ix)	संबंधित जिला कलक्टर	सदस्य, पदेन;
(x)	संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य, पदेन;
(xi)	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(xii)	मुख्य वन्यजीव वार्डन	सदस्य सचिव, पदेन।"

(ख) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i)	प्रधान सचिव (पर्यावरण और वन)	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(iii)	सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(iv)	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विषय विशेषज्ञ	सदस्य;
(v)	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नाम निर्दिष्ट पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;

IndiaCode

(vii)	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(viii)	संबंधित जिला कलक्टर	सदस्य, पदेन;
(ix)	संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य, पदेन;
(x)	उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(xi)	मुख्य वन्यजीव वार्डन	सदस्य सचिव, पदेन।"

6. मानीटरी समिति के कार्य.- (1) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो कि उप पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मानीटरी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकेगी।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-IV** में निर्दिष्ट प्रारुप में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकगी, जैसा वह ठीक समझे।"

[फा.सं. 25/20/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पणी.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 19 अगस्त, 2015 को अधिसूचना संख्या का.आ. 2262 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2024

S.O. 2354(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section (3) section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2262(E), dated the 19th August, 2015;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2262(E), dated the 19th August, 2015;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2262(E), dated the 19th August, 2015, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely : -

"5. **Monitoring Committee**. – The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely: -

(A) Monitoring Committee in respect of area of Eco-sensitive zone falling in the State of Uttar Pradesh consisting of the following, namely :-

(i) Principal Secretary (Environment and Forest) - Chairman, *ex officio*;

(ii) Member Secretary, Central Pollution Control Board - Member, *ex officio*;

(iii) Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board- Member, *ex officio*;

(iv) An expert in the area of Ecology and Environment to be nominated by the Government of Uttar Pradesh from time to time every three years. - Member,

(v) A representative of Non-governmental Organisation [working in the field of environment including heritage conservation] to be nominated by the Government of Uttar Pradesh from time to time every three years. - Member;

(vi) Representative of Housing and Urban Planning Department , Government of Uttar Pradesh- Member, *ex officio*;

(vii) Representative of Revenue Department , Government of Uttar Pradesh - Member, *ex officio*;

(viii) Representative of Irrigation Department, Government of Uttar Pradesh- Member, *ex officio*;

(ix) Concerned District Collector- Member, *ex officio*;

(x) Concerned Divisional Forest Officer- Member, *ex officio*;;

(xi) Representative of Government of National Capital Territory of Delhi- Member, *ex officio*;

(xii) Chief Wildlife Warden- Member Secretary, *ex officio* .

(B) Monitoring Committee in respect of area of Eco-sensitive zone falling in the Union territory of National Capital Territory of Delhi consisting of the following, namely :-

(i) Principal Secretary (Environment and Forest) - Chairman, *ex officio*;

(ii) Member Secretary, Central Pollution Control Board- Member, *ex officio*;

(iii) Member Secretary, Delhi Pollution Control Board - Member, *ex officio*;

(iv) An expert in the area of Ecology and Environment to be nominated by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time every three years - Member;

(v) A representative of Non-governmental Organisation [working in the field of environment including heritage conservation] to be nominated by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time every three years - Member;

(vi) Representative of Delhi Development Authority- Member, *ex officio*;

IndiaCode

(vii) Representative of Revenue Department , National Capital Territory of Delhi- Member, *ex officio*;

(viii) Concerned District Collector- Member, *ex officio*;

(ix) Concerned Divisional Forest Officer - Member, *ex officio*;

(x) Representative of Government of Uttar Pradesh- Member, *ex officio*;

(xi) Chief Wildlife Warden - Member Secretary, *ex officio* ."

6. **Functions of Monitoring Committee.** – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph(1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in **Annexure-IV**.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.".

[F. No. 25/20/2014-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.-: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2262(E), dated the 19th August, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.06.19 20:07:05 +05'30'